



राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर  
क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-भरतपुर/2018/  
दिनांक :

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 के तहत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफ.डी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 की अनुपालना एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.(51)कार्मिक/क-2/88 पार्ट दिनांक 13.05.2011 के अनुसरण में विधवा कर्मचारी को टंकण परीक्षा से मुक्त रखने के फलस्वरूप श्रीमति ममता शर्मा, कनिष्ठ सहायक, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हिन्दोन सिटी, करौली जिनकी प्रथम नियुक्ति तिथि 26.08.2016 है। कर्मचारी द्वारा आरएससीआईटी परीक्षा दिनांक 01.10.2015 को उत्तीर्ण कर ली है, को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सन्तोषप्रद पूर्ण करने पर दिनांक 26.08.2018 से 20800(लेवल-5) वेतन नियतन करते हुये एतद् द्वारा स्थाई किया जाता है।

<sup>51 2</sup>  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज0 जयपुर

दिनांक : 01/01/19

क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-भरतपुर/2018/3424

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हिन्दोन सिटी, करौली।
3. श्रीमति ममता शर्मा, कनिष्ठ सहायक को सूचनार्थ।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर